

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—आश्विन 21, शक 1939

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

सूचना

एफ 22-10/2017/आठ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 75, धारा 89 की उप धारा (1), धारा 93, धारा 95 की उप धारा (1) तथा धारा 96 की उप धारा (2) के खण्ड (अट्ठाईस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर नियमों के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, कक्ष क्रमांक 210, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नियमों का प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल भाड़े पर देने के लिए अनुबंधकर्ता (एग्रीगेटर) नियम, 2017 है।
- (2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार नियत करे।
- (3) ये नियम मध्यप्रदेश के शहरों में लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59);
 (ख) "अनुबंधकर्ता (एग्रीगेटर)" से अभिप्रेत है, परिवहन के प्रयोजन के लिए वाहन चालक से सहबद्ध करने हेतु किसी यात्री के लिए डिजिटल मध्यवर्ती;
 (ग) "फ्लीट" से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी अनुबंध के माध्यम से या तो निजी या संलग्न यानों की संख्या।
 (घ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, नियम 6 के अधीन प्रदान की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति;
 (ङ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 68 की उप धारा (1) के अधीन गठित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी;

(2) "शब्दों तथा अभिव्यक्तियों" के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं तथा इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों में उनके लिए दिए गए हैं।

3. मोटर कैब, आटो रिक्शा या मोटर साइकिल भाड़े पर दिए जाने के लिए अनुबंधकर्ता को अनुज्ञप्ति देना.—कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के बिना मोटर कैब, आटो रिक्शा, मोटर साइकिल को भाड़े पर देने के लिए अनुबंधकर्ता के रूप में स्वयं को नहीं लगाएगा।

4. अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन.—

- (1) नियम 6 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने हेतु कोई आवेदन अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप-1 में, अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा जिसकी अधिकारिता में मोटर कैब, आटो रिक्शा या मोटर साइकिल विद्यमान है।
 (2) नियम 6 के अधीन मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल प्रवर्ग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण हेतु पृथक् आवेदन किया जाएगा।
 (3) प्रत्येक शहर के लिए, नियम 6 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने हेतु पृथक् आवेदन किया जाएगा।

5. आवेदनों की संवीक्षा करना.—

- (1) आवेदक, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी होगा।
 (2) आवेदक का उस शहर में जिसके लिए अनुज्ञप्ति आवेदित है, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रजिस्ट्रीकृत होगा तथा आवेदन में उसके मुख्यालय के ब्यौरे जिसमें दूरभाष क्रमांक, ई-मेल आई डी तथा कार्यालय प्रभारी के ब्यौरे सम्मिलित होंगे।
 (3) आवेदक, आवेदन में वर्णित प्रवर्गों के न्यूनतम 25 यान या तो स्वयं के या अनुबंध के माध्यम से संलग्न होंगे।

6. अनुज्ञप्ति प्रदान करना.—अनुज्ञापन प्राधिकारी, नियम 4 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने नियम 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति की है, प्ररूप-2 में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या नवीकृत करेगा:

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरस्त करने के ऐसे कारणों को लिखित में न दिया गया हो।

7. **प्रतिभूति निक्षेप किया जाना.**—इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक, मोटर कैब की अनुज्ञप्ति हेतु रूपए दस लाख, आटो रिक्शा की अनुज्ञप्ति हेतु रूपए दो लाख तथा मोटरसाइकिल की अनुज्ञप्ति हेतु रूपए एक लाख प्रतिभूति, बैंक गारन्टी के तौर पर मध्यप्रदेश परिवहन आयुक्त के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करेगा तथा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता तक प्रभावी रहेगी।
8. **अनुज्ञप्ति की अवधि.**—नियम 6 के अधीन दी गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति प्राप्त होने या नवीकृत होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
9. **अनुज्ञप्ति का नवीकरण.**—
 - (1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन, अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के अवसान होने के पूर्व साठ दिन के भीतर किया जाएगा तथा उसके साथ मूल अनुज्ञप्ति तथा अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी।
 - (2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति के अवसान होने की तारीख के पश्चात् अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से मान्य तथा पर्याप्त कारण से रोका गया था। ऐसे मामलों में अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति के अवसान होने की तारीख से अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त रूपए 5000/— प्रतिमाह या उसके भाग के लिए विलंब शुल्क प्रभारित कर अनुज्ञप्ति नवीकृत कर सकेगा और ऐसा नवीकरण ऐसे अवसान होने की तारीख से प्रभावी होगा।
10. **अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना.**— यदि किसी भी समय पर, इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति गुम हो जाती है या नष्ट या खराब हो जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ प्ररूप—3 में अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे आवेदन भी प्राप्ति पर लाल स्याही से “द्वितीय प्रति” स्टांपित कर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा। यदि अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति इस अभ्यावेदन पर जारी की गई है कि प्रदान की गई मूल अनुज्ञप्ति गुम गई है और तत्पश्चात् मूल अनुज्ञप्ति मिल जाती है तो अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास अभ्यर्पित कर दी जाएगी।
11. **अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अनुपालन की जाने वाली सामान्य शर्तें.**—
 - (1) अनुज्ञप्तिधारी, मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों को सम्मिलित करते हुए ऐसे समस्त सुसंगत परिनियमों द्वारा आबद्ध रहेगा जैसी कि लागू की जाएं।
 - (2) अनुज्ञप्तिधारी किसी वेबपोर्टल अथवा एप के माध्यम से अनुबंधकर्ता के रूप में कार्य करेगा, जिसके ब्यौरे संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा यातायात पुलिस को उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - (3) अनुज्ञप्तिधारी, एक वेबपोर्टल संधारित करेगा। प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, पता, ई-मेल आई.डी. तथा उसके मुख्यालय तथा स्थानीय कार्यालय के संपर्क विवरण, कंपनी/फर्म के नाम के अद्यतन ब्यौरे वेबपोर्टल या एप पर उपलब्ध होंगे।

- (4) अनुज्ञापतिधारी, अपनी वेबसाईट पर प्ररूप-4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फ्लोच की अद्यतन एम आई एस रिपोर्ट संधारित करेगा तथा जो किसी भी समय एक्सेल फार्म में डाउनलोड किए जाने की सुविधा के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा यातायात पुलिस की पहुंच योग्य होगी।
- (5) अनुज्ञापतिधारी, किराए पर देने के लिए संकलित की गई प्रत्येक यात्रा को भी प्ररूप-5 में विनिर्दिष्ट एम आई एस रिपोर्ट को अपने वेब पोर्टल पर संधारित करेगा तथा जो किसी भी समय एक्सेल फार्म में डाउनलोड किए जाने की सुविधा के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा यातायात पुलिस की पहुंच योग्य होगी।
- (6) अनुज्ञापतिधारी, यात्री द्वारा पहुंच योग्य इंटरनेट समर्थ आवेदन प्लेटफार्म या डिजिटल आधारित आवेदन प्लेटफार्म संधारित करेगा जिसमें यात्री के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित होगी;
- (क) चालक का छायाचित्र;
- (ख) चालक का नाम, अनुज्ञापति क्रमांक, अनुज्ञापति की श्रेणी, अनुज्ञापति की विधिमान्यता तथा चालक का मोबाइल नम्बर;
- (ग) वाहन का छायाचित्र;
- (घ) वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, उपयुक्तता प्रमाण पत्र की विधिमान्यता, बीमा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता, अनुज्ञापन पत्र की विधिमान्यता तथा वह क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञापन विधिमान्य है।
- (ड.) लागू किराया।
- (7) अनुज्ञापतिधारी अपने मोबाइल एप्लीकेशन में एक ऐसी विशेषता विकसित तथा सम्मिलित करेगा जो यात्री को उसकी वास्तविक अवस्थिति, उसकी सुरक्षा तंत्र के भीतर के लोगों तक साझा करने और आपातकाल की दशा में स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराती हो।
- (8) इन नियमों के अंतर्गत संचालित होने वाले किसी भी वाहन के लिए किराया प्रभार राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।
- (9) अनुज्ञापतिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक यात्रा की समाप्ति पर, तय की गई दूरी, अनुसरित किए गए मार्ग का ग्राफ, इकाई किराया दर के साथ-साथ करों को दर्शाने वाला एक बिल बने तथा ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से यात्री को भेजा जाए।
- (10) यात्री के पास यात्रा के दौरान सामना की गई कठिनाइयों पर उनकी शिकायतों को मोबाइल एप अथवा दूरभाष क्रमांक के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प होना चाहिए। अनुज्ञापतिधारी, शिकायत का समाधान करने तथा यात्री को पन्द्रह दिन के भीतर सूचित करने के लिए दायी होगा।
- (11) अनुज्ञापतिधारी चालकों की गुणवत्ता, उनका पुलिस सत्यापन तथा यात्रियों के साथ उनके आचरण के लिए उत्तरदायी होगा। अनुज्ञापतिधारी यह भी निश्चित करेगा कि चालक प्रशिक्षित, विश्वासपात्र एवं भरोसेमंद हों।
- (12) अनुज्ञापतिधारी अपने वेब आधारित तथा मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा विकसित करेगा कि इन नियमों के अधीन केवल वे ही वाहन अनुबंधित किए जाएं

- जो कि विधिमान्य रूप से रजिस्ट्रीकृत हों और जिनके पास उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदुषण नियंत्रण का विधिमान्य प्रमाणपत्र, विधिमान्य अनुज्ञापत्र तथा चालक के पास यान चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो।
- (13) अनुज्ञप्तिधारी अपने एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा विकसित करेगा कि इन नियमों के अंतर्गत संचालित होने वाले प्रत्येक वाहन, स्वच्छ ईंधन अर्थात् शीशारहित पेट्रोल अथवा सी.एन.जी.या हायब्रिड अथवा बैटरी द्वारा संचालित हों।
 - (14) इन नियमों के अंतर्गत संचालित प्रत्येक वाहन अपनाए जाने वाले पथ और तय की जाने वाली कुल दूरी को दर्शाने वाले जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस. आधारित ट्रेकिंग उपकरण से युक्त होंगे। उपकरण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण कक्ष से निरन्तर संपर्क में रहेगा जब कि वाहन किराए पर दिया गया हो। उक्त जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस. के काम न करने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके कारण, उस अवधि के साथ, जिसके दौरान उपकरण काम नहीं कर रहा था, दर्ज किए जाएंगे।
 - (15) इन नियमों के अंतर्गत संचालित होने वाला प्रत्येक वाहन पेनिक बटन से युक्त होगा जोकि यात्रियों को आसानी से पहुंच योग्य हो।
 - (16) चालक का छायाचित्र, अनुज्ञप्ति क्रमांक, वाहन का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आदि अंतर्विष्ट करने वाले ब्यौरे वाहन के अन्दर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे यात्री सीधे तौर पर उसे देख सकें। ये ब्यौरे ऐप पर तथा उपभोक्ता को जारी किए गए बीजकों पर भी दर्शाए जाएंगे।
 - (17) आरटीओ पुलिस एवं महिलाओं का हेल्प लाइन नम्बर, वाहन के भीतर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
 - (18) वाहन पर कोई भी टिन्टेड कांच, पर्दे, या फिल्म नहीं चिपकाई जाएगी।
 - (19) इन नियमों के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों का रंग परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
 - (20) अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा (9) के अंतर्गत जारी किए गए अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र के अंतर्गत संचालित हो रहे वाहनों को इन नियमों के अंतर्गत संचालित करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
 - (21) अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञापत्र में प्राधिकृत क्षेत्र के उल्लंघन में किसी वाहन को संचालित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और यदि किसी समय कोई वाहन अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, यथाशक्य शीघ्र, अनुज्ञापन प्राधिकारी को वाहन चालक का नाम तथा परिवहन की तिथि और समय तथा मार्गों के पूर्ण ब्यौरों को, ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट करेगा।
 - (22) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापत्र अथवा इसमें उल्लिखित उपबंधों में प्राधिकृत नहीं

की गई किसी रीति में, किसी वाहन का उपयोग करता है या उपयोग करवाता है या वाहन को उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञा देता है तो अनुज्ञप्तिधारी तथा चालक द्वारा की गई किसी क्षति, अपहानि, अपराध अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें चालक भी सम्मिलित है, अपराध कारित करने के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक् रूप से जिम्मेदार होंगे।

- (23) वाहन चालक को परिवहन यान को चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति तथा विधिमान्य लोक सेवा यान वैज (बिल्ला) रखना होगा।
- (24) वाहन चालक बिना किसी आपराधिक अभिलेख का अच्छे नैतिक आचरण का होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो वाहन चालन के विगत सात वर्ष के भीतर मादक द्रव्य अथवा मद्यसार के प्रभाव के अधीन दोषी ठहराया गया हो या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी भी समय किसी संज्ञेय अपराध के लिए जिसमें सम्मिलित हैं, धोखाधड़ी, लैंगिक अपराध जो किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने के लिए किसी मोटरयान का उपयोग, सम्पत्ति विवाद और/या चोरी, हिंसा का कृत्य, या आंतकी का कृत्य अपराध में अंतर्वलित हो, सिद्धदोष ठहराया गया है उसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा काम पर नहीं लगाया जाएगा।
- (25) अनुज्ञप्तिधारी, जितना कि साध्य हो, महिला चालकों को भाड़े पर लेने का प्रयास करेगा।

12. अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने की अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्ति.—

- (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा, यदि—
- (क) अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का पालन करने में असफल रहा हो; या
- (ख) अनुज्ञप्तिधारी का कोई नियोजक या अनुज्ञप्तिधारी से संलग्न वाहन का चालक किसी यात्री के साथ दुर्व्यवहार या कदाचरण का दोषी पाया जाता है ; या
- (ग) किसी यात्री द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कोई शिकायत युक्तियुक्त शंका से परे साबित हो जाती है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलंबित कर सकेगा या अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।
- (2) जहां अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने के लिए दायी है और अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित करना आवश्यक या समीचीन नहीं है, और यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसे जुर्माने को जमा करने को सहमत है जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाए, तो इसमें ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या रद्द करने के बदले में उक्त जुर्माने की रकम अनुज्ञप्तिधारी से वसूल

कर सकेगा।

- (3) सहमति पर धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निलंबन के लिए वसूलनीय रकम तथा अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के बदले में वसूलनीय रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
 - (4) जब अनुज्ञप्ति खण्ड (1) के अधीन निलंबित या रद्द कर दी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित कर देगा।
13. अपील.— नियम 6 या 12 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित अनुज्ञप्तिधारी, आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण को अपील कर सकेगा।
14. अपील की प्रक्रिया.—
नियम 13 के अधीन कोई अपील ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश की आपत्तियों के आधारों को बताते हुए प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी।
15. प्रकीर्ण.—
- (1) अनुज्ञप्ति धारक,—
 - (क) उसके कार्यालय को अन्यत्र परिवर्तित करने की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा ;
 - (ख) परिसर तथा समस्त संधारित अभिलेखों को अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण हेतु खुला रखेगा;
 - (ग) ऐसी जानकारी तथा विवरणी जिसकी मांग की जाए, विभाग को समय-समय पर प्रस्तुत करेगा;
 - (घ) उसके कार्यालय के प्रमुख स्थान तथा उसके वेब पोर्टल पर अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करेगा।
 - (2) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय तीन माह की पूर्व सूचना द्वारा अनुज्ञप्ति को अभ्यर्पण कर सकेगा तथा ऐसे अभ्यर्पण पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति को रद्द करेगा। अनुज्ञप्ति धारक, अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने के पूर्व समस्त शोध्य जमा करेगा जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति रद्द समझी जाएगी तथा बैंक प्रत्याभूति समपहृत हो जाएगी।
 - (3) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण का तथा सरकार से तथा उसके विरुद्ध की गई समस्त कार्रवाइयां, कार्यवाहियां, हानियां, नुकसान, खर्च प्रभार, दावे तथा उसके अभिकर्ताओं या नियोजकों द्वारा या अनुज्ञप्ति की

विधिमान्यता के दौरान या उसकी अभिरक्षा में किसी कृत्य या चूक के कारण, अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा सरकार के विरुद्ध लाए गए किसी भी प्रकार की मांग तथा विवरण को देने को वचन देगा।

- (4) इस स्कीम के अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से अनुबंधकर्ता तथा राज्य सरकार के मध्य किसी विवाद के निपटारे के लिए क्षेत्राधिकार अनुज्ञापन प्राधिकारी का मुख्यालय होगा।

अनुसूची-एक

1. अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण हेतु फीस.-

(क) अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित मोटर कैब्स हेतु	50,000 /-
(ख) अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित आटो रिक्शा हेतु	25,000 /-
(ग) अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित मोटर साइकिल हेतु	15,000 /-

2. द्वितीय अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु फीस.-

(क) अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित मोटर कैब्स हेतु	30,000 /-
(ख) अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित आटो रिक्शा हेतु	15,000 /-
(ग) अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित मोटर साइकिल हेतु	5,000 /-

3. नियम-13 के अधीन अपील के लिए फीस.-

(क) अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित मोटर कैब्स हेतु	10,000 /-
(ख) अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित आटो रिक्शा हेतु	8,000 /-
(ग) अनुबंधकर्ता द्वारा संचालित मोटर साइकिल हेतु	5,000 /-

प्ररूप-एक

(नियम-4 देखिए)

अनुबंधकर्ता को मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल भाड़े पर देने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण हेतु आवेदन

प्रति,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी,

.....मध्यप्रदेश

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, एतद्वारा, नीचे वर्णित कम्पनी/फर्म के निमित्त मोटरकैब/आटो रिक्शा/मोटर साइकिल भाड़े पर देने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करता हूँ

- पूरा नाम
- पुत्र/पत्नि/पुत्री.....
- कम्पनी/फर्म में धारित पद
- पूरा पता.....
- ई-मेल आई.डी.
- फोन नम्बर.....

7. कम्पनी/फर्म का नाम.....
8. कम्पनी/फर्म का पंजीयन क्रमांक.....
9. कम्पनी/फर्म के मुख्यालय का पूर्ण पता.....
10. कम्पनी/फर्म के मुख्यालय का ई-मेल आई.डी.....
11. कम्पनी/फर्म के मुख्यालय का दूरभाष नम्बर.....
12. कम्पनी/फर्म के स्थानीय कार्यालय का पता.....
13. कम्पनी/फर्म के स्थानीय कार्यालय का ई-मेल आई.डी.....
14. कम्पनी/फर्म के स्थानीय कार्यालय का दूरभाष नम्बर.....
15. कम्पनी/फर्म का वेब पोर्टल का पता.....
16. वाहन का प्रवर्ग जिसकी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है.....
17. शहर का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है.....
18. पलीट में उपलब्ध वाहन का पंजीयन क्रमांक तथा पंजीयन चिह्न.....
19. अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, यदि पूर्व से धारित हों.....
20. मैं मोटर कैब, आटो रिक्शा और मोटर साइकिल को भाड़े हेतु अनुबंधकर्ता रूप में कारोबार करने की शर्तों से अवगत हूँ।
21. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ, कि उपरोक्त दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और सत्य हैं।
मेरे द्वारा विहित फीस रूपए..... पावती क्रमांक.....तथा
दिनांक.....को आन लाइन जमा कर दी गई है।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-2

(नियम 6 देखिए)

**अनुबंधकर्ता को मोटर कैब, आटो रिक्शा और मोटर साइकिल
भाड़े पर देने के लिए अनुज्ञप्ति**

1. अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी/फर्म का पूरा नाम.....
2. अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी/फर्म के मुख्यालय का पूरा पता.....
3. अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी/फर्म के स्थानीय कार्यालय का पूरा पता.....
4. अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी/फर्म का वेब पोर्टल.....

अनुज्ञप्ति क्रमांक..... वाहन का प्रवर्ग.....
..... शहर में अनुज्ञप्ति विधिमान्य है,
जारी करने की तारीख..... तक विधिमान्य

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी,
मध्यप्रदेश

नवीकरण

तारीख.....से तारीख.....तक नवीकरण

प्रमाण-पत्र जारी होने की विधिमान्यता	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता	चालक का नाम	चालन अनुज्ञप्ति क्रमांक	चलाने हेतु प्राधिकृत यान का प्रवर्ग	चालन अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता	वाहन चालक का मोबाइल नम्बर
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप-5

(नियम 11 का उप-नियम 5 देखिए)
अनुबंधकर्ता की यात्रा फेरों की मासिक रिपोर्ट

अनुक्रमांक	यात्रा की तारीख	यात्रा का समय	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रवर्ग	अनुज्ञा पत्र क्रमांक	क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञा पत्र विधिमान्य है	अनुज्ञा पत्र की विधिमान्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता	प्रमाण-पत्र जारी होने की विधिमान्यता	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता	वाहन चालक का नाम	चालन अनुज्ञप्ति क्रमांक	चलाने हेतु प्राधिकृत यान का प्रवर्ग	चालन अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

वाहन चालक का मोबाइल नम्बर	यात्रा का मार्ग	यात्रा की दूरी	कुल किराया
(16)	(17)	(15)	(19)

Bhopal the 13th October 2017

NOTICE

NO. F 22-10/2017/08 The following draft of rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 75, sub-section (1) of section 89, section 93, sub-section (1) of section 95 and clause (xxviii) of sub-section (2) of section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of rules shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department, Room No. 210, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES

1. Short title, commencement and application.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Aggregator for the Hire of Motor Cab, Auto rickshaw and Motor Cycle Rules, 2017.
- (2) It shall come into force from such date as the State Government may appoint.
- (3) These rules shall be applicable in the Cities of Madhya Pradesh.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

- (b) "Aggregator" means a digital intermediary for a passenger to connect with a driver for the purposes of transportation;
- (c) "Fleet" means number of vehicles either owned or attached through an agreement by licensee;
- (d) "Licence" means a licence granted or renewed under rule 6;
- (e) "Licensing Authority" means the Regional Transport Authority constituted under sub-section (1) of section 68 of the Act.

(2) Words and expression used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Granting of Licence to aggregator for the hire of motor cab auto rickshaw or motor cycle.-No person shall engage himself as an aggregator for the hire of motor cab, auto rickshaw or motor cycle without a licence issued under these rules.

4. Application for grant or renewal of licence.-

- (1) An application for grant or renewal of licence under rule 6 shall be made in Form-1 accompanied with fee specified in Schedule-I, to Licensing Authority in whose jurisdiction motor cab, auto rickshaw or motor cycle exists.
- (2) Separate application shall be made for grant or renewal of licence under rule 6 for motor cab, auto rickshaw and motor cycle category.
- (3) Separate application shall be made for grant or renewal of licence under rule 6 for each city.

5. Scrutiny of applications.-

- (1) The applicant shall be a firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) or a company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
- (2) The applicant shall have registered office in the city for which the licence is applied and details of its headquarter including telephone number, e-mail ID and details of office-in-charge shall be provided in the application.

- (3) Applicant shall have minimum 25 vehicles of the category mentioned in application either owned or attached through an agreement.

6. Grant of licence.-

The licensing authority may, on receipt of an application under rule 4 after being satisfied himself that the applicant has complied with the requirements of rule 5, grant or renew licence in Form-2:

Provided that no application for licence shall be refused by licensing authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons of such refusal are given in writing by the licensing authority.

7. Security deposits.-

The applicant for a licence under these rules, shall furnish security by way of Bank Guarantee of rupees ten lac for licence of motor cab, rupees two lac for licence of auto rickshaw and rupees one lac for licence of motor cycle drawn in favour of the Transport Commissioner, Madhya Pradesh and security furnished shall be effective till the validity of licence.

8. Duration of licence-

A licence granted or renewed under rule 6 shall be valid for a period of two years from the date of grant or renewal.

9. Renewal of licence.-

- (1) An application for renewal of licence shall be made to Licensing Authority within sixty days prior to the expiry of licence and shall be accompanied with original licence and fee specified in Schedule-I.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Licensing Authority may entertain an application for renewal of licence after the date of expiry of such licence, if it is satisfied that the applicant was restrained by good and sufficient cause from making an application within the time specified. In such case Licensing Authority may renew licence by charging late fee of Rs. 5000/- per month or part thereof from the date of expiry of such licence, in addition to fee specified in Schedule-I and such renewal shall have effect from the date of such expiry.

10. Issue of duplicate licence.-

If at any time, the licence issued under these rules is lost, destroyed or defaced, the licensee shall forthwith apply to the licensing authority for the issuing of supplicate licence in Form-3 accompanied with the fee as specified in Schedule-I. Upon the receipt of such application the licensing authority shall issue duplicate licence stamped 'Duplicate' with red ink. If the duplicate licence is issued on a representation that the licence originally granted has been lost and the original licence has been subsequently found, the duplicate licence shall be surrendered to the licensing authority.

11. General conditions to be observed by licence holder.-

- (1) The licensee shall abide by all relevant statutes as may be applicable including the Motor Vehicles Act, 1988 and the Information Technology Act, 2000 and the rules made thereunder.
- (2) the licensee shall work as an aggregator through a web portal or App, details of which shall be provided to the concerned licensing authority and Traffic police.
- (3) The licensee shall maintain a web portal. All details and updated details of licence granted, registration number, address, e-mail ID and contact details of its head office and local office, name of the company/firm shall be available on the web portal or app.
- (4) Licensee shall maintain the updated MIS report of the fleet as specified in Form-4 on its website and which shall be accessible to the Licensing Authority and traffic police along with the facility of being downloaded in excel form at any time.
- (5) The licensee shall maintain a MIS report specified in Form-5 on its web portal of each trip aggregated for hire and which shall be

accessible by licencing authority and traffic police with facility of being downloaded in excel form at any time.

- (6) The licensee shall maintain enabled application platform or digital based application platform, to be accessed by the passenger which shall display the following information for the passenger:
- (a) The photo of the driver;
 - (b) Name of the driver, license number, category of the vehicle validity of licence and mobile number of driver;
 - (c) The photograph of the vehicle;
 - (d) Registration number of the vehicle, validity of fitness certificate, validity of insurance certificate, validity of licence and the area for which the licence is valid;
 - (e) The applicable fare.
- (7) The licensee shall develop and include a feature in its mobile application that provides the passenger a facility to share their real time location with the people within their safety network and to contact local police in case of an emergency.
- (8) Fare charges for any vehicle being operated under these rules shall be prescribed by State Government.
- (9) The licensee shall ensure that at the end of every journey, a bill showing the distance travelled, graph of routed followed, unit rate fare along with taxes is generated and be sent to the passenger through e-mail or any other electronic means.
- (10) The passenger must have the option to submit their grievances on difficulties faced during the travel via the mobile app or telephone number. The licensee is liable to resolve the grievance and inform the passenger within fifteen days.
- (11) The licensee shall be responsible for quality of drivers, their police verification and their behaviour with the passengers. The licensee shall also ensure that the drive are trained, faithful and reliable.

- (12) The licensee shall develop such facility in its web based or mobile based application that only those vehicles are aggregated under these rules which are validly registered and which have valid certificate of fitness, insurance, pollution control, valid licence and the driver shall have valid licence of driving the vehicle.
- (13) The licensee shall develop such facility in its application that each vehicle operated under these rules should be driven on clean fuel i.e. unleaded petrol or CNG or hybrid or battery.
- (14) Each vehicle being operated under these rules shall be fitted with GPS/GPRS based tracking device showing the path travelled and total distance covered. The device shall be in constant communication with the control room of the licensee while the vehicle is on hire. In case of non-functioning of the said GPS/GRPS the reason thereof shall be recorded by the licensee along with the duration for which the device was not functioning.
- (15) Every vehicle being operated under these rules shall be equipped with panic button which is easily accessible to the passenger.
- (16) The details containing the photograph of the driver licence number, registration mark of the vehicle etc. shall be displayed prominently inside the vehicle, so that the same is directly visible to the passenger, These details shall also be made visible on the app and on the invoices issued to the customer.
- (17) Helpline number of RTO, Police and Women's Help line shall be prominently displayed inside the vehicle.
- (18) No tinted glass or curtains or films shall be affixed on the vehicle.
- (19) The colour of the vehicle, being operated under these rules shall be specified by the Transport Commissioner and allowed to display the advertisement as per guide lines issued by the Licensing Authority from time to time.

- (20) Vehicles being operated under all India Tourist Permits issued under sub section (9) of section 88 of the Act, shall not be allowed to operate under these rules.
- (21) The licensee shall not be allowed to operate any vehicles In contravention of the authorised area in permit, and if the vehicle is found at any time contravening the conditions of the permit of the vehicles, then he shall give report of such contravention as soon as possible name of the driver, date of the transportation and full details of time and routes to the Licensing Authority.
- (22) If the licensee uses or causes to be used or allows a vehicle to be used in any manner not authorized by permit or provision mentioned herein, the licensee and the driver shall be jointly and severally responsible for any injury, harm, offence or crime committed by any person including the driver.
- (23) The driver shall have a valid driving license to drive a transport vehicle and valid Public Service Vehicle Badge.
- (24) The driver shall be of good moral character without any criminal record. Any person who has been convicted within past seven years of driving under the influence of drugs or alcohol, or has been convicted at any time for any cognizable offence under the code of Criminal Procedure 1973, including fraud, sexual offences, use of a motor vehicle to commit a cognizable offence, a crime involving property dispute and/or theft, acts of violence or acts of terror shall not be engaged by the licensee.
- (25) The licensee shall endeavour to hire as many women drivers as may be feasible.

12- Power of licensing authority to suspend or cancel licence.-

- (1) The licensing authority may, after giving an opportunity of being heard to the licensee, suspend or cancel the licence, if,-
 - (a) The licensee has failed to comply with any of the terms and conditions of these rules; or

- (b) An employee of licensee or driver of vehicle attached to the licensee is guilty of any misbehaviour or misconduct with any passenger; or
- (c) Any complaint against the licensee by any passenger, has been proved beyond reasonable doubt, the licensing authority may suspend the licence for a specified period or cancel the license.
- (2) Where the licence is liable to be cancelled or suspended and the licensing authority is of opinion that having regard to the circumstances of the case, it shall not be necessary or expedient to cancel or suspend the license, and if the license holder agrees to pay a fine which may be imposed by the licensing authority, then notwithstanding anything contain hereinabove, the licensing authority may instead of suspending or cancelling the license, as the case may be, recover the amount of the said fine from the licence holder.
- (3) For the purpose of recovery of sums of money agreed upon, the State government may, by notification in the official gazette, specify the amount recoverable for suspension and amount recoverable in lieu of cancelation of licence.
- (4) When the license is suspended or cancelled under clause (1), the license holder shall surrender the licence to the Licensing Authority.
- 13. Appeal.**-The licensee aggrieved by any order of the Licensing Authority under rule 6 or 12, may within thirty days from the receipt of order, make an appeal to the Madhya Pradesh State Transport Appellate Tribunal.
- 14. Procedure for appeal**
- An appeal under rule 13 shall be preferred in duplicate in the form of memorandum setting forth the ground of objections to the order of Licensing Authority and shall be accompanied by a fee specified in Schedule-I

15. Miscellaneous.-

- (1) The license holder shall-
 - (a) intimate any shifting of his office to the Licensing Authority;
 - (b) keep the premises and all the records maintained open for inspection at all reasonable times by the Licensing Authority or officers authorised by them;
 - (c) Submit from time to time to the department such information and return as may be called for;
 - (d) display the licence at a prominent place in his office and on his web portal.
- (2) The licensee may, at any time surrender the licence by prior intimation of three months and on surrender, the Licensing Authority shall cancel the licence. The license holder shall clear all dues before surrendering the licence, failing which licence shall be deemed to be cancelled and the bank guarantee shall be forfeited.
- (3) The licensee shall undertake to Licensing Authority to indemnity and protection, and from government and against him all actions, proceedings, losses, costs, damages, charges, claims and demands of any nature and description brought against the Licensing Authority and Government by reason of any act or omission of the licensee, his agents or employees or during the validity of the licence or in the guarding of the same.
- (4) The jurisdiction for settlement of any dispute between the aggregator and the State Government through the court under this scheme shall be at the headquarter of the Licensing Authority.

Schedule-I

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Fee for grant or renewal of licence.- | |
| | (a) For motor cabs operated through aggregator | 50,000/- |
| | (b) For auto rickshaw operated through aggregator | 25,000/- |
| | (c) For motor cycle operated through aggregator | 15,000/- |
| 2. | Fee for issue of duplicate licence.- | |
| | (a) For motor cabs operated through aggregator | 30,000/- |
| | (b) For auto rickshaw operated through aggregator | 15,000/- |
| | (c) For motor cycle operated through aggregator | 5,000/- |
| 3. | Fee for appeal under rule-13 | |
| | (a) For motor cabs operated through aggregator | 10,000/- |
| | (b) For auto rickshaw operated through aggregator | 8,000/- |
| | (c) For motor cycle operated through aggregator | 5,000/- |

Form-1

(see rule 4)

APPLICATION FOR GRANT OR RENEWAL OF LICENCES TO AGGREGATOR FOR HIRE OF MOTOR CAB, AUTO RICKSHAW AND MOTOR CYCLE

To,

The regional Transport Authority,

.....Madhya Pradesh

I, the undersigned, hereby, apply on behalf of under mentioned company/Firm for a licence for hire of motor cab/auto rickshaw/motor cycle.

1. Full name.....
2. Son/Wife/Daughter of
3. Post held in the Company/Firm.....
4. Full address
5. E-mail ID.....
6. Phone number
7. Name of the Company/Firm
8. Registration number of company/firm

9. Full address of company/firm head office
 10. E-mail ID of company/firm headquarter
 11. Phone number of company/firm headquarter
 12. Address of local office of the company/firm
 13. E-mail ID of local office of the company/firm
 14. Phone number of the local office of the company/firm
 15. Web portal address of the company/firm
 16. Category of vehicle for which the licence is applied
 17. Name of City for which applied
 18. Registration number and registration mark
of vehicle available in the fleet
 19. Particular of licence if held earlier
 20. I am conversant with the conditions for carrying the business as aggregator
for hire of the motor cab, auto rickshaw and motor cycle.
 21. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, the particulars
given above are correct and true.
- The prescribed fee of Rs.....is paid by me by on line receipt number
..... and date.....

Place

Signature of applicant

Date

FORM-2

11

(see rule 6)

**LICENCES TO AGGREGATOR FOR HIRE OF MOTOR CAB,AUTO
RICKSHAW AND MOTOR CYCLE**

1. Full name of the licensee company/firm
2. Complete address of the licensee company/firm head office.....
.....
3. Full address of the local office of the licensee company/firm
4. Web portal of the licensee company/firm

Licence number.....category of vehicle

Licence is valid in the city

Date of issue.....Valid up to

Regional Transport Authority
Madhya Pradesh

RENEWAL

Renewal from.....up to.....

FORM-3

(see rule 10)

**APPLICATION FOR DUPLICATE LICENCE TO AGGREGATOR FOR HIRE OF
MOTOR CAB,AUTO RICKSHAW AND MOTOR CYCLE**

To,

The regional transport authority.

.....Madhya Pradesh

I, the undersigned, hereby, declare on behalf under mentioned company/firm that the licence granted for the hire of motor cab/auto rickshaw /motor cycle is lost/destroyed/defaced which is to be illegible, thus hereby, I am applying the duplicate licence.

1. Full name.....
2. Son/Wife/Daughter of
3. Post held in the Company/Firm.....
4. Full address
5. E-mail ID.....
6. Phone number
7. Name of the Company/Firm
8. Web portal address of the company/firm
9. Particulars of licence.....

Licence number.....category of vehicle

Licence is valid in the city

Date of issue.....Valid up to

The prescribed fee of Rs.....is paid by me by on line receipt number and date.....

Place

Signature of applicant

Date

FORM 4
(See sub-rule 4 of rule 11)
Particulars of fleet of the monthly report

S.No.	Date of attached vehicle in the fleet	Registration No. of vehicle	Category of vehicle	Permit number	Area for which permit is valid	Validity of the permit	Validity of fitness certificate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Validity of issuing certificate	Validity of Pollution Control certificate	Name of the driver	Driving licence number	Category of authorised vehicle for driving	Validity of driving licence	Mobile number of the driver
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

FORM-5
(see sub rule (5) of rule 11)
MONTHLY REPORT OF TRIP OF AGGREGATOR

S.No.	Date of trip	Time of trip	Registration number of vehicle	Category of vehicle	Permit number	Area for which permit is valid	Validity of permit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Validity of fitness certificate	Validity of issuing certificate	Validity of Pollution control certificate	Name of driver	Driving licence number	Category of vehicle authorised for driving	Validity of driving licence
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Mobile number of the driver	Route of trip	Distance of trip	Total fare
(16)	(17)	(18)	(19)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, अपर सचिव.